

डिक्री बमुकदमें ईब्दादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 421/2025

1. जसकरण सिंह पि. बलवंत सिंह जाति जटसिख नि. इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमागनद
2. बलकरण सिंह पि. बलवंत सिंह जाति जटसिख नि. इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमागनद

वादीगण

बनाम

1. गुरविन्द्र कौर पुत्री बलवंत सिंह जाति जटसिख नि. इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सन्तोष कुमार सोलकी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलवन्त सिंह मान वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 10 पीटीपी खाता संख्या 72/69 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

3. वादी संख्या 1 जसकरण सिंह के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 10 पीटीपी के खाता संख्या 72/69 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
125/144	30	4/1/.228, 4/2/0.025 है. गै. मु. खाला 7/0.253, 14/0.253 है. कुल 0.759 है. मय गै. मु. कृषि भूमि

4. वादी संख्या 2 बलकरण सिंह के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 10 पीटीपी के खाता संख्या 72/69 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
125/144	30	3/1/.228, 3/2/0.025 है. गै. मु. खाला 8/0.253, 13/0.253 है. कुल 0.759 है. मय गै. मु. कृषि भूमि

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...... नल...... मुब्लिक...... निल...... बाबत...... निल...... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...... अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक... 21.8.2025 ...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया